

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 581]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 23 दिसम्बर 2011—पौष 2, शक 1933

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर 2011

क्र. 7457-449-इक्कीस-अ-(प्रा.)—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 21 दिसम्बर 2011 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ३९ सन् २०११

मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक- ८) अधिनियम, २०११

[दिनांक २१ दिसम्बर, २०११ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)", में दिनांक २३ दिसम्बर, २०११ को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

३१ मार्च, २००२ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कतिपय सेवाओं पर उन रकमों से, जो उन सेवाओं के लिये और उस वर्ष के लिये मंजूर की गई थी, अधिक व्यय हुई रकमों की पूर्ति करने के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से धन के विनियोग को प्राधिकृत करने के लिये उपबंध करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-८) अधिनियम, २०११ है.

३१ मार्च, २००२ को समाप्त हुए वर्ष के कतिपय अधिक व्यय की पूर्ति करने के लिये मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से रु. ६,२५,६०,५९४ का दिया जाना.

२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम (३) में विनिर्दिष्ट वे राशियाँ, जिनका कुल योग छः करोड़ पच्चीस लाख साठ हजार पाँच सौ चौरानवे रुपये होता है, उक्त अनुसूची के कॉलम (२) में विनिर्दिष्ट सेवाओं की बाबत प्रभारों को चुकाने के लिए ३१ मार्च, २००२ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान उन रकमों से, व्यय हुई रकमों की पूर्ति करने के लिए दी और उपयोजित की जाने के लिये प्राधिकृत की गई समझी जायेगी.

विनियोग.

३. इस अधिनियम के अधीन मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी और उपयोजित की जाने के लिए प्राधिकृत की गई समझी गई राशियाँ, अनुसूची में अभिव्यक्त सेवाओं और प्रयोजनों के लिए ३१ मार्च, २००२ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के संबंध में विनियोजित की गई समझी जाएंगी.

अनुसूची

(धारा २ और ३ देखिये)

(१) अनुदान का क्रमांक	(२) सेवायें और प्रयोजन	(३) आधिक्य			
		मतदत्त	भारत	योग	
		(राशि रुपये में)	(राशि रुपये में)	(राशि रुपये में)	
०६.	वित्त विभाग	पूंजीगत	०	५,५६,०७,३०६	५,५६,०७,३०६
२०.	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	राजस्व	०	६३,७९,९५५	६३,७९,९५५
२३.	जल संसाधन	पूंजी	०	५,७३,३३३	५,७३,३३३
	योग :	{ राजस्व	०	६३,७९,९५५	६३,७९,९५५
		{ पूंजी	०	५,६१,८०,६३९	५,६१,८०,६३९
	वृहद योग :		०	६,२५,६०,५९४	६,२५,६०,५९४

भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर, 2011

क्र. 7458-449-इक्कीस-अ-(प्रा).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक 8) अधिनियम, 2011 (क्रमांक 39 सन् 2011) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT
No. 39 OF 2011.

THE MADHYA PRADESH APPROPRIATION, (No.-8) ACT, 2011.

[Received the assent of the Governor on the 21st December, 2011; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary", dated the 23rd December, 2011.)

An Act to provide for the authorization of appropriation of moneys out of the consolidated fund of the State of Madhya Pradesh to meet the amounts spent on certain services during the financial year ended on the 31st day of March, 2002 in excess of the amounts granted for those services and for that year.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-second year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Appropriation (No.-8) Act, 2011.

Short title.

2. From and out of the consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh the sums specified in column (3) of the Schedule amounting in the aggregate to the sum of Six crores twenty five lakhs sixty thousands five hundred ninety four rupees shall be deemed to have been authorised to be paid and applied to meet the amount spent on defraying the charges in respect of the services specified in column (2) of the said Schedule during the financial year ended on the 31st day of March, 2002 in excess of the amounts granted for those services and for that year.

Issue of Rs. 6,25,60,594 out of the consolidated fund of the State of Madhya Pradesh to meet certain excess expenditure for the year ended on 31st March, 2002.

3. The sums deemed to have been authorized to be paid and applied from and out of the consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh under this Act, shall be deemed to have been appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the financial year ended on the 31st day of March, 2002.

Appropriation.

THE SCHEDULE
(See section 2 and 3)

(1) No. of Vote	(2) Services and purpose	(3) Excess			
		Voted (Amt. in Rs.)	Charged (Amt. in Rs.)	Total (Amt. in Rs.)	
06	Finance	Capital	0	5,56,07,306	5,56,07,306
20	Public Health Engineering	Revenue	0	63,79,955	63,79,955
23	Water Resources	Capital	0	5,73,333	5,73,333
Total :		Revenue	0	63,79,955	63,79,955
		Capital	0	5,61,80,639	5,61,80,639
Grand Total :			0	6,25,60,594	6,25,60,594